



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243263  
CG-DL-E-27012023-243263

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]  
No. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/MAGHA 7, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 58(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 83 के अनुसरण में, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2023 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) 'संयुक्त आयोग' से अधिनियम की धारा 83 के अधीन गठित जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है; और

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003, (2003 का 36) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

**3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना-** (1) संयुक्त आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूची में उपबंधित प्ररूप में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें आगामी वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष से 31 मार्च तक के दौरान अपने क्रियाकलापों का सार अंतर्विष्ट होगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान के क्रियाकलापों का विवरण दिया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा, -

(क) संयुक्त आयोग के लक्ष्य और उद्देश्यों का विवरण;

(ख) खंड (क) की पृष्ठभूमि में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए नियत किए गए वार्षिक लक्ष्यों सहित उन लक्ष्यों के प्रति निर्देश से वास्तविक निष्पादन का संक्षिप्त पुनर्वलोकन और जिसमें विशिष्टतः वर्ष के दौरान संयुक्त आयोग के समक्ष फाइल किए गए मामलों की संख्या, निपटाए गए मामलों की संख्या, मामले के निपटान में लगे समय और लंबित मामलों की संख्या की रिपोर्ट सम्मिलित है;

(ग) संयुक्त आयोग के विनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्धन या परिवर्तन;

(घ) राज्य सलाहकार समिति के कार्यकरण की रीति और पणधारियों के साथ अन्य परामर्श;

(ङ) आपूर्ति औसत लागत-औसत राजस्व वसूली अंतर तथा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की प्रास्थिति और इन्हें कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय;

(च) महत्वपूर्ण मानदंडों जैसे पूंजीगत लागत, विद्युत की लागत, नए विनिधान, दक्षता अभिलाभों की प्रवृत्तियां;

(छ) उन मामलों की संख्या और ब्यौरे जिनमें आयोग के आदेशों या विनियमों को न्यायालयों या अपील अधिकरण में चुनौती दी गई थी और ऐसे मामलों का परिणाम;

(ज) विवादों का समाधान जिसके अंतर्गत वर्ष के अंत में लंबित विवाद भी हैं।

(झ) लागत प्रतिबिंबित होने पर टैरिफ से कोई विचलन, सहायकी प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 65 का अनुपालन, खुली पहुँच का कार्यान्वयन, नवीकरणीय क्रय बाध्यता का अनुपालन और उक्त अधिनियम के कोई भी अन्य उपबंध।

(ञ) अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अधीन समुचित सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन।

**4. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना -** संयुक्त आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक वर्ष के अक्तूबर मास के अंत तक केंद्रीय सरकार और भाग लेने वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अग्रेषित की जाएंगी।

### अनुसूची

#### (नियम 3 देखें)

(1) संक्षिप्त में आयोग का नाम।

(2) आयोग का आदेश।

(3) मिशन विवरण।

(4) गत वर्ष।

(5) प्राप्तियों और व्ययों को दर्शित करने वाले आयोग के वार्षिक लेखे।

- (6) उपभोक्ताओं के फायदे और सेक्टर के विकास के निबंधनों के अनुसार विनियामक प्रक्रिया का परिणाम।  
 (7) आगामी वर्ष की कार्य योजना।

[फा. सं. 47/4/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF POWER

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2023

**G.S.R. 58(E).**— In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and in pursuance of section 83 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh (Preparation of Annual Report) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003;
- (b) 'Joint Commission' means the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, constituted under section 83 of the Act; and
- (c) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Preparation of Annual Report.** – (1) Every year, the Joint Commission shall prepare an Annual Report, giving a summary of its activities during the previous year commencing from the 1<sup>st</sup> day of April to the 31<sup>st</sup> day of March of the following year in the form provided in the Schedule.

(2) The Annual Report shall give an account of the activities during the previous financial year, containing, inter-alia, —

- (a) a statement of goals and objectives of the Joint Commission;
- (b) annual targets set for various activities in the background of clause (a) together with a brief review of actual performance with reference to those targets and including in particular a report on the number of cases filed before the Joint Commission during the year, number of cases disposed of, time taken to dispose of the cases and number of cases pending;
- (c) important additions or changes in the regulations of the Joint Commission;
- (d) the manner of functioning of the State Advisory Committees and other consultation with the stakeholders;
- (e) the status of Average Cost of Supply - Average Revenue Realised gap, and Aggregate Technical and Commercial losses and the steps proposed to reduce these;
- (f) the trends of important parameters such as capital cost, cost of electricity, new investment, efficiency gains;
- (g) the number and details of cases in which orders or regulations of the Commission were challenged in Courts or Appellate Tribunal and the outcome of such cases;
- (h) the resolution of disputes including the disputes pending at the end of the year;
- (i) any departure from the tariff being cost reflective, compliance with section 65 of the Act for grant of subsidy, implementation of Open Access, compliance of Renewable Purchase Obligation and any other provisions of the said Act, 2003; and

- (j) the compliance of any direction given by the appropriate Government under relevant provision of the Act.

4. **Submission of Annual Report.**— The copies of the Annual Report shall be forwarded by the Joint Commission to the Central Government and to the Governments of Participating Union territories by the end of October in each year.

#### **SCHEDULE**

(See rule 3)

#### **FORM OF ANNUAL REPORT OF THE JOINT COMMISSION**

- (1) THE COMMISSION IN BRIEF.
- (2) THE MANDATE OF THE COMMISSION
- (3) MISSION STATEMENT.
- (4) THE YEAR IN RETROSPECT.
- (5) ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION SHOWING RECEIPTS AND EXPENDITURE.
- (6) OUTCOME OF REGULATORY PROCESS IN TERMS OF BENEFITS TO CONSUMERS AND DEVELOPMENT OF SECTOR.
- (7) WORK PLAN FOR THE YEAR AHEAD.

[F. No. 47/4/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.